न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–V वैशाली, हाजीपुर ।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–950/2026 एवं 1010/2026</u>

बलिगांव थाना कांड संख्या–137/2025

अंतर्गत धारा– 85 भा0न्या0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

<u>आदेश</u>

14-05-2026

WebCopy not official

आज अभियुक्त/आवेदकगण **बैजु महतो, सुशीला देवी, मुकेश कुमार, मुन्ना कुमार एवं सरिता कुमारी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–950/2026 एवं **विकाश महतो उर्फ बिकेश महतो** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1010/2026 को उनके विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा जमानत आवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतियाँ अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया। दोनों ही अग्रिम जमानत आवेदन बलिगांव थाना कांड सं0–137/2025 अन्तर्गत धारा–85 भा0न्या0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित हैं। अभियुक्त/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता अन्य बातों के साथ कथन करते हैं कि, अभियुक्त/आवेदकगण को अग्रिम जमानत आवेदन के विचारण के दौरान ही पुलिस थाना द्वारा उन्हें जमानत की सुविधा दे दी गई थी तथा आज अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राप्त कराए गए कांड दैनिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त/आवेदकगण को भविष्य में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की कोई आशंका नहीं है। अतः अभियुक्त/आवेदकगण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर विद्वान लोक अभियोजक प्रस्तुत आवेदन का कोई विरोध नहीं करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं अभियुक्त/आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये निवेदन के आलोक में अभियुक्त/आवेदकगण को प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अग्रिम जमानत आवेदन सं0–950/2026 एवं 1010/2026 को वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

इस प्रकार दोनों अग्रिम जमानत आवेदन का निष्पादन एक साथ किया जाता है।

लेखापित,

अपर सत्र न्यायाधीश–V
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Order:- 14.05.2026
Date of Reserving Order:-14.05.2026
Uploading Date:-14.05.2026
Uploaded by:-Stenographer